भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1288
सोमवार, 10 फरवरी, 2020/21 माघ, 1941 (शक)

वार्षिक रोजगार वृद्धि

1288. डॉ॰ ए॰ चेल्लाकुमारः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रोजगार अवसरों में गिरावट के कारण बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं गत पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार दर्ज वार्षिक रोजगार वृद्धि दर कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बड़े व्यापारिक घरानों, कार्पोरेट क्षेत्र, सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा वर्ष-वार कितने रोजगार अवसर सृजित हुए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान रोजगार अवसर सृजन के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में विशेषकर आरक्षित वर्गों हेतु और रोजगार अवसर सृजित करने के लिए क्या विभिन्न उपाय किए गए हैं तथा बढ़ती बेरोजगारी को भी नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रमबल सर्वेक्षण आयोजित किए जाते थे। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अब, एनएसओ वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) करने लगा है, जो 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था। सर्वेक्षणों के परिणाम के अनुसार, सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर 2011-12 के दौरान 2.2% तथा 2017-18 के दौरान 6.1% थी। इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया है।

(ख से घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जोकि क्रमश: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। देश में इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध सीमा तक सृजित रोजगार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

योजनाएं/वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (लाख में)	4.08	3.87	5.87	2.12 (अक्तूबर, 2019 तक)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (करोड़ में)	235.64	233.74	267.99	207.62 (दिसम्बर, 2019 तक)
डीडीयू-जीकेवाई के तहत नियोजित अभ्यर्थी (लाख में)	1.48	0.76	1.36	1.11 (दिसम्बर, 2019 तक)
डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियोजन (लाख में)	1.52	1.15	1.78	0.44 (27-1-2020 तक)

स्रोतः संबंधित मंत्रालय

जनशक्ति आयोजन एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) का रोजगार उनकी व्यावसायिक योजनाओं के उदेश्यों और लक्ष्यों, प्रचलित व्यावसायिक दशाओं और आवश्यकताओं तथा अन्य कारनों जैसे भीव संचालन, विस्तार/निदेश, सेवानिवृत्ति, चयन आदि के अनुरूप रखा जाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार में भर्ती प्रमुख रूप से संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) आदि जैसे विभिन्न भर्ती अभिकरणों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, अनेक मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्राधिकार में कुछ पदों के लिए उनका अपना भर्ती तंत्र है। सभी भर्ती अभिकरणों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से डेटा एकत्रित करने के लिए कोई केंद्रीयकृत अभिकरण नहीं है। सरकारी पदों को निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार नियमित रूप से भरा जाता है। सीपीएससी में रोजगार तथा केंद्र सरकार के मुख्य भर्ती अभिकरणों के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	यूपीएससी संस्तुतय अभ्यर्थियों की संख्या	एसएससी द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुतय अभ्यर्थियों की संख्या	आरआरबी द्वारा पैनल में लिए गए/भर्ती किए गए अभ्यर्थियों की संख्या	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रोजगार* (लाख में)
2015-16	6877	25138	79803	11.85
2016-17	5740	68880	26318	11.35
2017-18	6314	45391	24462	10.88
2018-19	4422	16748	6493	उपलब्ध नहीं है

*पीएसई सर्वेक्षण, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय।

उपरोक्त आकड़ो में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके समय के तंत्र, राज्य सरकारों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, विश्वविद्यालय, सार्वाधिक/स्वयतशासी निकायों द्वारा की गई भर्तीया तथा मंत्रालय/विभागों द्वारा बिना यूपीएससी/एसएससी व रेलवे भर्ती अधिकारियों द्वारा सीधे ही की गई भर्ती या शामिल नहीं हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। 17.01.2020 तक पीएमकेवीवाई के तहत देश भर में 16.6 लाख (लगभग) अभ्यर्थी नियोजित हो चुके हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, स्टैंड अप इंडिया स्कीम" को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक की सीमा में ऋणों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना से बड़ी संख्या में ऐसे उद्यमियों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रत्येक बैंक (अनुसूचित वाणिज्य बैंक) की तरफ से कम-से-कम दो ऐसी परियोजनाओं, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के उद्यमी में से औसतन एक हो, को सुविधा प्रदान करना है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 10.02.2020 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1288 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सभी आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)	
		2011-12 (पंचवर्षीय सर्वेक्षण)	2017-18 (पीएलएफएस)*
1	आंध्र प्रदेश#	2.0	4.5
2	अरुणाचल प्रदेश	2.2	5.9
3	असम	4.6	8.1
4	बिहार	3.4	7.2
5	छत्तीसगढ़	1.4	3.3
6	दिल्ली	3.8	9.7
7	गोवा	4.9	13.9
8	गुजरात	0.5	4.8
9	हरियाणा	2.9	8.6
10	हिमाचल प्रदेश	1.3	5.5
11	जम्मू और कश्मीर	3.4	5.3
12	झारखंड	2.6	7.7
13	कर्नाटक	1.6	4.8
14	केरल	6.6	11.4
15	मध्य प्रदेश	0.9	4.5
16	महाराष्ट्र	1.3	4.9
17	मणिपुर	3.7	11.6
18	मेघालय	0.8	1.5
19	मिजोरम	3.2	10.1
20	नागालैंड	17.7	21.4
21	ओडिशा	2.4	7.1
22	पंजाब	2.2	7.8
23	राजस्थान	1.2	5.0
24	सिक्किम	1.2	3.5
25	तमिलनाडु	2.3	7.6
26	तेलंगाना	-	7.6
27	त्रिपुरा	12.8	6.8
28	उत्तराखंड	3.1	7.6
29	उत्तर प्रदेश	1.6	6.4
30	पश्चिम बंगाल	3.3	4.6
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6.5	15.8
32	चंडीगढ़	6.0	9.0
33	दादर और नगर हवेली	0.0	0.4
34	दमन और दीव	0.1	3.1
35	लक्षद्वीप	13.8	21.3
36	पुडुचेरी	2.1	10.3
	अखिल भारत	2.2	6.1

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2017-18 और भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति, 2011-12; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

टिप्पणी: * तुलनीयता के लिए, एनएसएस सर्वेक्षणों के पूर्व के दौरों के साथ पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझने की जरूरत है जिसके साथ सर्वेक्षण पद्धति और नमूना चयन को डिजाइन किया गया है।

 # 2011-12 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में शामिल था।